

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या: 02-परीक्षा/2019

होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (भेषिजिक) (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि – 25-02-2019

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 25-02-2019

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन शुल्क / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 18-03-2019

आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि – 25-03-2019

विशेष कथन – उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2019 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन /फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का Printout तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 18.03.2019 से एक सप्ताह के अंदर अर्थात् 25.03.2019 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में (Registered mobile Number, Email, आधार नम्बर, कैटेगरी को छोड़कर) संशोधन भी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 02-परीक्षा/2019 द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (भेषिजिक) (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्राधीन (जिनका उल्लेख आगे सारणी-1 में किया गया है) के रिक्त होम्योपैथिक भेषिजिक (फार्मासिस्ट) के 412 पद (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु), होम्योपैथिक भेषिजिक के 08 पद (राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हेतु) कुल रिक्त 420 पदों पर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (भेषिजिक) (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के माध्यम से लिखित परीक्षा (प्रारम्भिक व मुख्य अथवा मुख्य परीक्षा) के आधार पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना – इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया – आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को पाँच भागों में विभक्त किया गया है।

- 1- कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
- 2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload) करना
- 3- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)
- 4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)
- 5- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

नोट – अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर "ऑल नोटीफिकेशन / एडवर्टिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ ले कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित

योग्यता रखते हैं और पद हेतु निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। तदोपरांत आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा- निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित User Instructions अवश्य पढ़ें।

आवेदन की प्रक्रिया – (User Instructions)

भाग-1- कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

- I. इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें।
- II. Registration पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे -नाम, पिता/पति का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हों) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।
- III. वेब पेज पर नीचे की ओर **"Enter Verification Code"** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन को क्लिक करें। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर **"रजिस्ट्रेशन स्लिप"** प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सहित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के **Applicant Segment** में **Know Your Status** के अंतर्गत **"Print Duplicate Registration Slip"** बटन को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकता है।

भाग -2-फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload)

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए-

- I. चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिये।
- II. ठुड़ी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- III. चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।
- IV. चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।
- V. कैमरे पर नजर सीधी हो।
- VI. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुंह बन्द)।
- VII. सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- VIII. फोटो का आकार 35 मिमी (1.4 इंच) x 45 मिमी (1.75 इंच) का होना चाहिये। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो।
- IX. फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

अभ्यर्थी अपना 3.5cm चौड़ा व 4.5cm लंबा रंगीन फोटोग्राफ *.jpe,*.jpeg,*.jpg,* प्रारूप में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार 05Kb तथा अधिकतम आकार 30Kb से कम होना चाहिए तथा हस्ताक्षर 1.5 cm लंबा तथा 3.5cm चौड़ा होना चाहिए।

अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद **"Continue"** बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जायेंगे।

भाग- -3 फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

- I. अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थाई व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)–

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा से सहमत हो तो-Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जायेगी। :

अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तम्भों की पूरित प्रविष्टियों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकड़ों में कोई संशोधन चाहते हैं तो “बैक” बटन को क्लिक कर प्रविष्टि विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं।

जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो सबमिट बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित करेंगे।

नोट – यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है इस स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

भाग- -4 फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)

- (I) अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ **Proceed To Download and print The Application Form** बटन को क्लिक कर अपना फार्म अन्तिम रूप से **Submit** कर सकता है तथा उसका एक **Printout** भी ले सकता है।

- (II) ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को-SBI का ई चालान-download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

- (III) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI ई चालान-के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है।

- (IV) अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।

- (V) शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

विशेष नोट – अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।

1क (आवेदन शुल्क) – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग - 4 में उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है -

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग + आवेदन शुल्क) (ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
(5)	विकलांगजन हेतु	-----	25.00	25.00

नोट -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1-4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

भाग- -5फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट **Applicant Segment** में **Know Your Status** के अंतर्गत **Print Detailed Application Form** बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिन्टआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी Homepage पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिन्ट कर ले। उसके बाद अर्थात् एक सप्ताह के बाद Printout नहीं ले सकेगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें।

2 -आवेदन पत्र में संशोधन

- (I) अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Modify Submitted Application** पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब Login करेगा तो उसके Registered mobile Number तथा Email पर एक OTP(One Time password) जायेगा इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, परन्तु वह

अपना Registered mobile Number, Email , कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है।

(II) अभ्यर्थी ने जितने पदों के लिए आवेदन किया है सिर्फ उतने पद में ही संशोधन कर सकता है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के उपरांत पदों की संख्या घटा/बढ़ा नहीं सकता है।

(III) अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फार्म संशोधित कर सकता है।

(IV) आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात् 25-03-2019 तक ही अनुमन्य है।

3 - उपर्युक्त प्रस्तर- 1 में उल्लिखित रिक्त पदों का विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैंड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	01 जुलाई, 2019 को आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में।	पदों की संख्या					स्थायी/अस्थायी
					अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	
1	निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	(1) होम्योपैथिक भेषिजिक (फार्मासिस्ट) (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में)	29200-92300, लेवल-5 (ग्रेड पे-2800/-)	21-40	218	79	02	113	412	अस्थायी
		(2) होम्योपैथिक भेषिजिक (राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेषिजिक)	29200-92300, लेवल-5, (ग्रेड पे-2800/-)	21-40	06	00	00	02	08	अस्थायी
				कुल पद	224	79	02	115	420	

(1) नोट -उपर्युक्त रिक्त सभी प्रकार के पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी सारिणी-3 में उल्लिखित अनिवार्य अहर्ताएं अवश्य पढ़ लें तथा सम्बंधित पदों हेतु अपनी वरीयता देने के पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि वे उस पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अहर्ता (शैक्षिक) व अन्य धारित करते हैं तथा उपर्युक्त सारिणी में पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं।

(2)- अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय उस पद को टिक (Select) करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका आवेदन उस पद हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा।

क्षैतिज आरक्षण का विवरण -

उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों पर क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है-

सारिणी-2

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
1-	निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	(1) होम्योपैथिक भेषिजिक (फार्मासिस्ट) (राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में)	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित	08
			(ii) विकलांग(ओ० ए०, ओ०एल०)	16
			(iii)- महिला	82
			(iv)- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक	20
		(2) होम्योपैथिक भेषिजिक (राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेषिजिक)	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित	00
			(ii) विकलांग	00
			(iii)- महिला	01
			(iv)- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक	00

नोट- 1- उपरोक्त सारिणी में उत्तर प्रदेश के विकलांगजनों को 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)(संशोधन) अध्यादेश 2018, शासनादेश दिनांक 03-08-2018 में विहित व्यवस्था एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण केवल चिन्हित पदों पर देय होगा।

2- विकलांगजनों हेतु आरक्षित पदों पर क्षैतिज आरक्षण विकलांग कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 35/65-3-11-78/99 दिनांक 13-01-2011 के अनुसार देय होगा।

टिप्पणी

(1)- उपर्युक्त सारिणी -1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा, जिसका विस्तृत विवरण आगे बिंदु-5 में दिया गया है, के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है, धारित करते हैं वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2)- उत्तर प्रदेश की महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण केवल चिन्हित पदों पर देय होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों अध्यादेशों /शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(4)- उपर्युक्त सारिणी- 1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

(5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

4 - अनिवार्य अर्हता - (शैक्षिक) उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों की अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) निम्नवत है-

सारिणी-3

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएँ
1	निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	(1) होम्योपैथिक भेषिजिक (फार्मासिस्ट) (राजकीय होमोपैथिक चिकित्सालयों में)	(अ) अनिवार्य अर्हता (जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अनुभव) - (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान के साथ (गणित या जीव विज्ञान समूह) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से दो वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से तीन महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और (तीन) होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (ब) अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
		(2) होम्योपैथिक भेषिजिक (राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेषिजिक)	(अ) अनिवार्य अर्हता (जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अनुभव) - (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान के साथ (गणित या जीव विज्ञान समूह) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से दो वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 03 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो और (तीन) होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (ब) अधिमानी अर्हता - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

05- (1)-आयु सीमा - आयु गणना की निर्णायक तिथि 01 जुलाई, 2019 है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1998 के बाद न हुआ हो।

(2) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2019 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवावधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है।

(3)- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम, विद्यमान शासनादेश दिनांक- 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

06- आरक्षण- (i)- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा - उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक / विकलांगजनों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों/अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार रिक्रियाँ बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करने होंगे।

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) (EWSs) के लिए आरक्षण-

(क) " प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को कार्मिक अनुभाग- 2 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी०सी०-11, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्था और कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु-04 (क) व (ख) में निर्धारित मानक के अंतर्गत आते हैं और विहित शर्तें पूरी करते हैं तो फार्मासिस्ट के रिक्त पदों (राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों) पर 10% आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।"

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 10% आरक्षण का दावा करते हैं उन्हें एतद सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18 फरवरी, 2019 के बिन्दु- 04 (ख) (iii) में विहित व्यवस्था के अनुसार "परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण-पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिमित्त (अन्यून) अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

07-वरीयता (विकल्प)- अभ्यर्थी पदों की वरीयता का विकल्प अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नीचे दी गयी सारणी में अंकित करें-

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदक्रमांक	पदनाम	वरीयता क्रम कृपया अंकित करें पदक्रमांक
1-	निदेशक, होम्योपैथी , उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	(1)	(1) होम्योपैथिक भेषिजिक (फार्मासिस्ट) (राजकीय होमोपैथिक चिकित्सालयों में)	☐ ☐
		(2)	(2) होम्योपैथिक भेषिजिक (राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेषिजिक)	☐ ☐

1- अभ्यर्थी जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हीं पदों के सापेक्ष वरीयता दे पाएंगे।

08- परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट- यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होगी और आयोग के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष एक लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पदवार/श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाना सुविधाजनक अथवा संभव नहीं होगा तो आयोग, आयोग द्वारा निर्धारित मानक/मापदंडों के अनुरूप अभ्यर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम करते हुए एक मुख्य परीक्षा आयोजित कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

2- आयोग उक्त परीक्षा/परीक्षाओं में सफल घोषित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए दी गयी वरीयता के आधार पर यथासंभव पद आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

09 -चयन का आधार – लिखित परीक्षा - (ऑफलाइन/ऑनलाइन) होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (भेषिजिक) (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु उक्त परीक्षाएं ऑनलाइन भी करा सकता है।

होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (भेषिजिक) (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के पदों पर चयन सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 और उत्तर प्रदेश समूह "ग" के पदों के लिए सीधी भर्ती के संबंध में कार्मिक अनुभाग – 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या – 04 /2017/ 1/1/2017- का -2 दिनांक 31.08.2017 के अनुसार (ऑनलाइन/ऑफलाइन) किया जायेगा। तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित किया जायेगा।

10- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व / सैनिक, विकलांग तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ० प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18-/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(10) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(11) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(12) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(13) संशोधित आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-3 की सारणी 1-में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-4 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित अर्हता ही स्वीकार की जाएगी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता विचारण के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे।

(14) उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ० प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत चयनित उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी शासनादेश दिनांक- 25 फरवरी 1999 के प्राविधानानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबन्धित हैं।

(15) आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सारणी- 1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सारणी- 3 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भाँति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में दी गयी योग्यता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें।

(16) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि से) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक – 18.02.2019 में विहित शर्तों के अंतर्गत आता है।

-11- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

- 1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 2- ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात्, आवेदन में संशोधन कि अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाये सही-सही भरे। गलत जेंडर (लिंग) भरने अथवा जेंडर के अनुरूप फोटो चस्पा न करने कि दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर न भरे और न ही गलत फोटो चस्पा करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाये अंतिम है इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि संज्ञान में आती है तो आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर ले।
- 3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 8- निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 10- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है।

- 11- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाये आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 12- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- 13- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता/अर्हताएँ नहीं रखते हैं वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।
- 14- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 15- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 16- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर **0522-2720814** द्वारा अथवा **वेबसाइट के Homepage पर उपलब्ध FAQ** के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 17- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि **18-03-2019** है।



सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती निवासी
ग्राम-..... तहसील-....., नगर-.....
जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित).....
..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र
की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम, 1993
(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....
..... के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी
(सील)

परिशिष्ट-8

उ0प्र0, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम तहसील नगर
जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान
(अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम तहसील नगर जिला
में सामान्यता रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

मुहर

पद का नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम तहसील नगर जिला
उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो
(जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन)
अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आत्मगत नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये
या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

मुहर

पद का नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.

Son/Wife/Daughter of Shri age

Sex identification mark (S) is suffering from permanent disability of following category.

- A. Locomotor of cerebral palsy:
- (i) BL-Both legs affected but not arms.
 - (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (iii) BLA-Both legs and both arms affected
 - (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
 - (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

- B Blindness or Low Vision:
- (i) B-Blind
 - (ii) PB-Partially Blind

- C. Hearing Impairment:
- (i) D-Deaf
 - (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling and pushing | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and couching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |

(xi) RW-can perform work by reading and writing
(Dr.....)
Member
Medical Board

Yes/No
(Dr.....)
Member
Medical Board

(Dr.....)
Chairperson
Medical Board
Countersigned by the
Medical Superintendent/
CMO/HQ
Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम
तहसील जिला उत्तर प्रदेश
लाक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री विवाहित/अविवाहित उपर्युक्त अधिनियम 1993 के ही
प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।
हस्ताक्षर पूरा नाम
स्थान मुहर
दिनांक जिलाधिकारी
सील

कृशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ०प्र० के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रारूप - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर
नियुक्ति के लिए कृशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी
पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में
आयोजित (क्रीड़ा/खेल-मार्ग का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।

उक्त टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के
आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम

मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राकरण-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट) स्थान का नाम आयोजित राष्ट्रीय में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राकरण-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राकरण-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल ग्रैंड्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव